भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: †2268
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली डॉक्टरों के बारे में सर्वेक्षण

† 2268. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नकली डॉक्टरों और अनधिकृत चिकित्सकों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हाँ, तो नकली डॉक्टरों की पहचान करने के लिए सरकार के पास कौन-सा तंत्र है और देशभर में कर्नाटक सहित राज्य-वार और जिला-वार कितने ऐसे डॉक्टरों की पहचान की गई है;
(ग) देशभर में ऐसे डॉक्टरों और अनधिकृत चिकित्सकों के खिलाफ सरकार द्वारा की-गई कड़ी कार्रवाई का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। अतः, फर्जी डॉक्टरों से संबंधित शिकायतें और आपत्तियाँ प्राप्त होते ही संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कार्रवाई के लिए भेज दी जाती हैं। ऐसी शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाइयों का डेटा और विवरण केंद्रीय रूप से संग्रहित नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या संबंधित प्राधिकरण अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में इस मामले का निपटारा करता है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 34 के तहत, राज्य/राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित मेडिकल प्रैक्टिसनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को योग्य मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में

चिकित्सा का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

सरकार ने देश के अल्पसेवित, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' हेतु, स्वीकृत 157 मेडिकल कॉलेजों में से 137 नए मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।
- ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (एफएपी) को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। एफएपी के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज गांवों को गोद लेते हैं और एमबीबीएस छात्र इन गांवों में परिवारों को गोद लेते हैं। इससे गोद लिए गए परिवारों का नियमित रूप से टीकाकरण, विकास निगरानी, मासिक धर्म स्वच्छता, आयरन-फोलिक एसिड पूरक आहार, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, कीट नियंत्रण और दवा के नियमित सेवन के लिए फॉलो-अप किया जा सकता है। यह परिवारों को चल रहे सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने में भी सहायक है।
- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के तहत, मेडिकल कॉलेजों के द्वितीय/तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने और उनके आवासीय क्वाटरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत योग्य वेतन की पेशकश करने की अनुमति है, जिसमें "यू कॉट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में स्वायत्तता शामिल है।

****